



2026:AHC:22964

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1377, वर्ष 2026

राम सूरत श्रीवास्तव
.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य
.....प्रत्यर्थीगण

याची हेतु अधिवक्ता : राहुल सहाय, सौमित्र
आनंद

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी
अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौमित्र आनंद और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग हेतु दायर की गई है:

"I. प्रतिवादी अधिकारियों को यह आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट या निर्देश जारी करें कि वे प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित प्रत्यावेदन दिनांक 26.10.2024 का निस्तारण इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित संक्षिप्त समय सीमा के भीतर करें।

II. कोई अन्य और आगे का आदेश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।

III. प्रतिवादियों के विरुद्ध याचिकाकर्ता को याचिका का खर्च प्रदान करें।"

3. याचिकाकर्ता ने इससे पूर्व रिट-ए संख्या 35924/2017 दायर करते हुए इस न्यायालय का द्वार खटखटाया था, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



यह याचिका प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग करती है कि वे याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या दैनिक वेतन भोगी के रूप में 'वर्तमान योजना के तहत किसी भी क्षमता में या प्रतिवादी के कार्यालय में' नियुक्ति प्रदान करें। जैसा कि याचिका में बताया गया है और विवादित आदेश में उल्लेखित है, याचिकाकर्ता को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित सरकार की एक योजना के तहत दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद उनके द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं में कार्य किया गया और स्वयं उनकी स्वीकृति के अनुसार उन्होंने अंतिम बार वर्ष 1989 में किसी सरकारी योजना में कार्य किया था। उन्होंने उनके द्वारा पूर्व में दायर एक याचिका पर दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया है, जिसके अनुसार यह निर्देश दिया गया था कि यदि चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी के पदों पर कोई रिक्ति हो, तो उक्त योजना में अन्य लोगों के साथ याचिकाकर्ता को भी समान अवसर दिया जाए। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में हुई थी, जो 1860 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत और निगमित एक समिति है। यह रोजगार सरकार के अधीन नहीं था जैसा कि इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम पीतांबर [विशेष अपील (दोषपूर्ण) संख्या 687/2010] के मामले में धारित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता इस बात से भी इनकार नहीं करते कि उनकी नियुक्ति केवल दैनिक वेतन के आधार पर थी और उस योजना के साथ ही समाप्त होने वाली थी जिसमें वे कार्यरत थे। इसलिए, प्रार्थना के अनुसार रिट जारी करने के लिए न तो उनका कोई धारणाधिकार था और न ही कोई अपरिहार्य अधिकार।

विद्वान अधिवक्ता ने तब 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005' के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए तर्क दिया कि विभिन्न सरकारी योजनाएं अभी भी प्रचलित हैं और ऐसी योजनाओं में नियुक्ति की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह न्यायालय इस मुद्दे पर विचार करना उचित नहीं समझता कि क्या याचिकाकर्ता किसी ऐसी सरकारी योजना के तहत आवेदन या रोजगार की मांग कर सकता है जो अभी भी प्रचलित हो सकती है, एकमात्र प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता का कोई कानूनी अधिकार है जिसके आधार पर प्रतिवादियों को उसे नियुक्ति देने का निर्देश दिया जा सके। यह न्यायालय याचिकाकर्ता में निहित ऐसे किसी भी अधिकार को न तो पाता है और न ही उसे मान्यता देने की स्थिति में है।

यह याचिका गुणहीन है और परिणामस्वरूप निरस्त की जाती है।"

4. इसके विरुद्ध एक अंतः-न्यायालय अपील 'विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 1050/2021' दायर की गई थी जिसे वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया था, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:

"कुछ समय तक बहस करने के बाद, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दया याचिका प्रत्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ अपील वापस लेने की प्रार्थना की।

तदनुसार, अपील को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के कारण खारिज किया जाता है।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता मुकदमेबाजी के पिछले दौर में हार चुका है।
6. न्यायालय की राय में, यदि कानून के अंतर्गत प्रत्यावेदन विचारणीय है, तो यह याचिकाकर्ता पर निर्भर है कि वह प्रतिवादियों के समक्ष अपनी शिकायत उठाए।
7. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

3 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"